न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 81/2021 बउनवानी अवधेश शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर सामाजिक कार्यकर्ता, नकटया का जगरा गणेश पीपली शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/261

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ख0न0 1092 वास्ते ग्राम आलनपुर का राजस्व रिकार्ड की एक प्रमाणित प्रति। 2. ख.न.1092 की जमाबन्दी, गिरदावरी व नक्शा ट्रेस की एक–एक प्रमाणित प्रति। 3. ख0न0 1092 की 90 बी या 90 ए, के आदेश की एक प्रमाणित प्रति। 4. डीएम या एसडीएम द्वारा इस भूमि के संबंध में कोई आदेश व पत्र किसी भी तरह का जारी किया हो तो उसकी एक प्रमाणित प्रति। 5. विगत सर्दियो के दिनो में जिला प्रशासन जिसमे पटवारी,गिरदावर, व अन्य अधिकारी शामिल थे जिन्होने इस ख0न0 1092 की भूमि का मौका मुआइना किया था शनि मंदिर के पास वाली जमीन का मौका देखकर जो रिपोर्ट तैयार की गयी है उसकी प्रमाणित प्रति। 6. 91 की एक प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ परन्तु अपनी आपत्ति जरिये डाक भिजवाते हुए अवगत कराया कि चाही गयी सूचना दिनांक 18.10.2021 तक अपीलान्ट को प्राप्त नही हुई है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/एलआर/सूकाअ/2021/6509 दिनांक 20.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 4.8.2021 में चाही गयी सूचना कुल 5 पृष्ठो की जरिये पत्रांक एलआर/21/6432 दिनांक 5.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 6432 दिनांक 5.10.2021 से (कु[illegible]) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी चुकी है। किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के पश्चात उपलब्ध करवायी [illegible] लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested